संयुक्त राष्ट्र जाँच आयोग की बाल-रिपोर्ट: ग़ाज़ा और कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में बच्चों पर प्रभाव

अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय कानून | समाचार संदर्भ: 23 जून 2026 | प्रकाशित: 23 अक्टूबर 2026

खबरों में क्यों

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जाँच आयोग (कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्र, पूर्वी यरुशलम सहित, और इज़राइल के लिए) ने बच्चों पर एक नई रिपोर्ट जारी की। इसका शीर्षक है “The essence of childhood has been destroyed” (दस्तावेज़ संख्या A/HRC/62/CRP.2, दिनांक 18 जून 2026)। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) की विज्ञप्ति 23 जून 2026 की है। यह आयोग के निष्कर्ष हैं। इज़राइल ने इन्हें अस्वीकार किया है। यह लेख आयोग के कथन और इज़राइल की प्रतिक्रिया को अलग-अलग रखता है।

रिपोर्ट किस बारे में है

- **अवधि:** रिपोर्ट के अनुसार वह 7 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2026 तक फ़िलिस्तीनी बच्चों पर प्रभाव की जाँच करती है।
- **आँकड़े:** रिपोर्ट (अनुच्छेद 26) के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2025 के बीच ग़ाज़ा में कम से कम 20,179 बच्चे मारे गए और 44,143 घायल हुए। यह उस अवधि में मारे गए कुल लोगों का 30 प्रतिशत और घायलों का 26 प्रतिशत है। आयोग ने तुलना के लिए बताया कि 2008-09 और 2014 के संघर्षों में बच्चे लगभग 24 प्रतिशत मौतों में थे। आयोग यह भी कहता है कि वास्तविक संख्या इससे निश्चित रूप से अधिक है।
- **कार्यपद्धति:** आयोग के अनुसार उसने हज़ारों खुले-स्रोत सामग्री की जाँच की और पीड़ितों व गवाहों से, बच्चों सहित, बातचीत की। आयोग का कहना है कि उसने इज़राइल सरकार को 13 बार सूचना या पहुँच के अनुरोध भेजे और कोई उत्तर नहीं मिला।
- **विषय:** विस्फोटक हथियारों से हताहत, 2025 की शांति-योजना के बाद भी मौतें, पश्चिमी तट पर बसने वालों की हिंसा, हिरासत में यातना और यौन हिंसा, स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों तथा अनाथालयों पर हमले, घेराबंदी और जीवन-स्थितियाँ, और मानसिक आघात।

आयोग के निष्कर्ष (आयोग के कथन)

- आयोग “उचित आधार” (reasonable grounds) पर यह निष्कर्ष देता है कि इज़राइली अधिकारियों और सुरक्षा बलों ने ग़ाज़ा में नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध-अपराध, तथा पश्चिमी तट में युद्ध-अपराध किए। (अनुच्छेद 331)
- आयोग का कहना है कि बच्चों को निशाना बनाना ग़ाज़ा में फ़िलिस्तीनी समूह को नष्ट करने की इज़राइली अधिकारियों की नरसंहार-मंशा सिद्ध करने का केंद्रीय तत्व है। (अनुच्छेद 346)
- आयोग ने कुछ घटनाओं में इज़राइली सेना की कुछ इकाइयों को “उचित आधार पर” बच्चों की मौत और चोट के लिए संभावित रूप से ज़िम्मेदार बताया है। (अनुच्छेद 356) यह अदालती निर्णय नहीं है।
- आयोग के अनुसार ICJ के जनवरी, मार्च और मई 2024 के अनंतिम उपाय (दक्षिण अफ़्रीका बनाम इज़राइल मामला) इज़राइल पर बाध्यकारी हैं, और वह उनकी अवहेलना कर रहा है।
- **सिफ़ारिशें:** इज़राइल से हमले रोकने और ICJ के उपायों तथा बाल अधिकार समिति (सितंबर 2024) की सिफ़ारिशों का पालन करने को कहा गया है। सदस्य देशों, सुरक्षा परिषद, महासभा, महासचिव और ICC के अभियोजक के लिए भी

अलग सिफ़ारिशें हैं।

इज़राइल की प्रतिक्रिया

ABC News के अनुसार इज़राइली सरकार ने रिपोर्ट की निंदा की और उसे "गहरी त्रुटिपूर्ण" तथा "त्रुटियों और विकृतियों" से भरा बताया। उसने इसे "राजनीति से प्रेरित इज़राइल-विरोधी कथा" का हिस्सा कहा और आरोप लगाया कि आयोग ने 7 अक्टूबर के हमलों के इज़राइली पीड़ितों की अनदेखी की। आयोग का कहना है कि उसने इज़राइली बच्चों पर प्रभाव की रिपोर्ट पहले दी है; ABC के अनुसार इज़राइल सरकार इसे केवल सरसरी उल्लेख मानती है।

परीक्षा की दृष्टि से समझने की बातें

- **कानूनी हैसियत:** आयोग एक जाँच-निकाय है। उसके निष्कर्ष न्यायालय के फ़ैसले नहीं हैं। उत्तर में इन्हें "आयोग का निष्कर्ष" लिखें, सिद्ध तथ्य नहीं।
- **नरसंहार की कसौटी:** नरसंहार कन्वेंशन में किसी समूह को पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट करने की विशिष्ट मंशा आवश्यक है। आयोग इस मंशा के प्रमाण के रूप में बच्चों को निशाना बनाने का तरीक़ा गिनाता है; इज़राइल रिपोर्ट को अस्वीकार करता है।
- **प्रारंभिक:** UNHRC का जाँच-आयोग, ICJ और ICC का अंतर, नरसंहार कन्वेंशन 1948, बाल अधिकार समिति।
- **मुख्य परीक्षा (GS-2):** संघर्ष-क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र तंत्र की सीमाएँ और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून में जवाबदेही।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

संघर्ष-क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के जाँच-तंत्र की उपयोगिता और सीमाओं की विवेचना कीजिए। जाँच आयोग के निष्कर्ष, पक्षों की प्रतिक्रिया और न्यायालय के निर्णय में अंतर स्पष्ट कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: संयुक्त राष्ट्र जाँच आयोग की भूमिका से शुरुआत करें।

मुख्य भाग में: बच्चों की सुरक्षा, साक्ष्य-संग्रह, पहुँच की बाधाएँ और जवाबदेही के प्रश्न जोड़ें। आयोग के कथनों को उसी के नाम से रखें और इज़राइल की असहमति का उल्लेख करें।

निष्कर्ष में: जाँच-निष्कर्ष तथा न्यायिक निर्णय को अलग रखते हुए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत बताएं।

स्रोत

- संयुक्त राष्ट्र जाँच आयोग की रिपोर्ट A/HRC/62/CRP.2, 18 जून 2026
- OHCHR प्रेस विज्ञप्ति, 23 जून 2026
- ABC News, 24 जून 2026

सीमाएँ: रिपोर्ट के सारांश, परिचय, कार्यपद्धति, आँकड़ों, कानूनी निष्कर्षों, निष्कर्ष-खंड और सिफ़ारिशों के आरंभ वाले भाग पढ़े गए; 94 पृष्ठ की रिपोर्ट के सभी घटना-वर्णन पंक्ति-दर-पंक्ति नहीं। इज़राइल की प्रतिक्रिया केवल ABC की रिपोर्ट से ली गई है, सरकार का मूल बयान नहीं पढ़ा गया। रिपोर्ट के बाद के घटनाक्रम (परिषद की चर्चा, ICC या ICJ की कार्यवाही) जाँचे नहीं गए। विषय संवेदनशील है, इसलिए पक्षों के कथन उनके नाम से लिखे गए हैं।